UNIT –II

''उपनिधान'' ''उपनिधाता'' और ''उपनिहिती'' की परिभाषा धारा 148 ''उपनिधान'' एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिदान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाएगा या उसे परिदान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्यथा व्ययनित कर दिया जाएगा। माल का परिदान करने वाला व्यक्ति ''उपनिधाता'' कहलाता है यह व्यक्ति जिसको वह परिदन्त किया जाता है ''उपनिहिती'' कहलाता है।

स्पष्टीकरण –

यदि वह व्यक्ति, जो किसी अन्य के माल पर पहले से ही कब्जा रखता है, उसका धारण उपनिहिती के रूप में करने की संविदा करता है तो वह तद द्वारा उपनिहिती हो जाता है और माल का स्वामी उसका उपनिधाता हो जाता है यद्यपि वह माल उपनिधान के तौर पर परिदत्त न किया गया हो।

उपनिधान के आवश्यक तत्व –

1. कब्जे का परिदान – उपनिधान का सबसे प्रथम आवश्यक तत्व कब्जे का परिदान है। कब्जे के परिदान के बिना कोई संव्यवहार उपनिधान नही हो सकता प्रत्येक उपनिधान में कब्जे में, परिवर्तन विहित होता है ऐसा परिदान अस्थायी होता है।

उल्टजेन ब0 निकोल्स (1894) Q.B. 92 के मामले में वादी प्रतिवादी के होटल में खाना खाने गया। वही बैरे ने स्वेच्छा से उसका ओवर कोट लेकर उसी की कुर्सी के पीछे टांग दिया। बाद में वह लापता मिला। न्यायालय ने प्रतिवादी को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया। क्योंकि बैरे ने एक उपनिहिती की जिम्मेदारी ली थी।

2. संविदा के अधीन कब्जे का परिदान उपनिधान के लिए आवश्यक है कि वस्तुओं का परिदान किसी संविदा के अधीन किया गया हो।
यदि ऐसा नही है तो उपनिधान नही है। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक नही है कि सदैव एक औपचारिक तथा पूर्ण संविदा हो।
3. विशिष्ट उद्देश्य अथवा प्रमोजन–उपनिधान में किसी वस्तु का कब्जा किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा प्रयोजन से किया जाता है यह आवश्यक नही है कि उपनिहिति ऐसी वस्तु का उपयोग करे ही।
4. वस्तुओं को वापस लौटना या निर्देशो के अनुसार व्यवस्थित करना– उपनिधान के संव्यवहार मे उपनिहित वस्तु को उद्देश्य अथवा प्रयोजन के पूरा हो जाने वापस उसके मालिक को लौटाना होता है। प्रत्येक उपनिधान की संविदा में वस्तु को युक्तियुक्त समय में लौटने की एक विवक्षित शर्त रहती है। वस्तुओं के परिदान एंव उन्हे वापस लौटाये जाने की संविदा के बिना कोई भी संव्यवहार उपनिधान नही हो सकता।
5. मे0 कल्यातनि ब्रीवरीज : लि0 ब0 स्टेट आफ बेस्ट बंगाल **AIR 1998 SC 70** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि उपनिधान में रखी वस्तु के बदले में वास्तविक मूल्य प्रदान किया जाता है तो यह बिक्री है न कि उपनिधान। उपनिधान तभी माना जायेगा जब कि वापस किये गये धन की मात्रा वस्तु के वास्तविक मूल्य से अधिक होगा।

उपनिधान के पक्षकार– उपनिधान के संव्यवहार में दो पक्षकार होते हैं–
01. उपनिधाता एंव 02. उपनिहिती वस्तु का परिदान करने वाला अर्थात् उसका स्वामी 'उपनिधाता' एंव जिस व्यक्ति को वस्तु का परिदान किया जाता है, वह 'उपनिहिती' कहलाता है। उपनिधान निम्न प्रकार से किया जा सकता है।
    1. निक्षेप द्वारा जैसे बैक के लाकर में वस्तु जमा करना।
    2. अवक्रय जैसे वस्तु को भाड़े पर देना।
    3. गिरवी जैसे वस्तु को ऋण या वर्णन के बदले देना।
    4. मॉगना जैसे मित्र द्वारा उधार मॉग कर ले जाना।

5. वाहक जैसे वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये देना।

उपनिधान के प्रकार एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी वाद का इस ब0 बर्नाड में लार्ड हल्ट ने निम्नलिखित 6 प्रकार के उपनिधान का वर्णन किया है–

1. किराया– जबकि समान उपनिहिती को किराए पर दिया जाता है तब वह किराए पर दिया हुआ उपनिधान कहलाती है।
2. आढ़– जब किसी अन्य को ऋण लिए हुए धन की जमानत के लिये माल दिया जाता है तो इस उपनिधान को आढ़ कहते है।
3. जमा– एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उपनिधाता के उपयोग के लिए माल जमा करता है। जैसे बैक के सेफ मे मूल्यवान वस्तुओं का रखना।
4. मित्र को दिया हुआ या मॉगते– जहॉ कि वस्तुऍ किसी मित्र को मुफत उपयोग में लाये जाने के लिए उधार दी जाती है।
5. जब वस्तुऍ ले जाए जाने के लिए या बिना पुरूस्कार के उनके साथ कुछ लिए जाने के लिए दी जाये।
6. जब माल क`ले जाये जाने के लिए या उस पर उपनिहिती द्वारा इनाम या पारिश्रमिक देय देता है।

<u>उपनिधाता के अधिकार :</u>

धारा 153 उपनिहिती के ऐसे कार्य द्वारा जो शर्तो से असंगत हो, उपनिधान का प्रर्यवसांन का अधिकार–उपनिधान की संविदा उपनिधाता

के विकल्प पर शून्यकरणीय है यदि उपूत्रिहिती उपनिहित माल के सम्बन्ध में कोई ऐसा कार्य करे जो उपनिधान की शर्तो से असंगत हो। उदाहरण– ख को एक घोड़ा उसकी अपनी सवारी के लिए क भाड़े पर देता है। ख उस घोड़े को अपनी गाड़ी मे चलाता है। यह क के विकल्प पर उपनिधांन का पर्यवसान है।

2. मिश्रित माल में हित धारण करने का अधिकार–

धारा 155 यदि उपनिहिती उपनिधाता की सम्मति से उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ मिश्रित कर दे तो उपनिधाता और उपनिहिती– इस प्रकार उत्पादित मिश्रण में अपने अपने अंश के अनुपात से हित रखेंगे।

उदाहरण– 'क' अपने दस बोरे चीनी के 'ख' को उसके गोदाम में रखने के लिए देता है। 'ख' उन दस बोरों को अपने गोदाम में रखे अन्य चीनी के बोरों के साथ रख देता है। 'क' अपने दस बोरे उपनिधान की शर्तो के अनुसार प्राप्त करने का हकदार होगा।

3. **<u>उपनिहिती से प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार–</u>**

धारा 156 एंव धारा 157 में उपनिधाता के प्रतिकर सम्बंधी अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार –

धारा 156 जब उपनिहिती उपनिधाता के माल को उसकी सम्मति के बिना अपने माल में मिश्रित कर देता है और ऐसे माल को पृथक किया जा सकता है तो उपनिधाता को यह अधिकार होगा कि–

01. वह अपने मात्र को उपनिहिती के माल से पृथक करा कर वापस प्राप्त करें,
02. ऐसे पृथकरण में हुए व्यय को प्राप्त करें, एंव
03. ऐसे मिश्रण से कारित नुकसान की वसूली के लिए अपना दावा करें।

उदाहरण 'क' एक विशिष्ट प्रकार से चिंहित रूई की दस गॉठे ख के पास उपनिहित करता है। क की सम्मति के बिना ख अ गॉठों को एक अलग चिन्ह धारण करने वाली अपनी अन्य गॉठो में मिश्रित कर देता है। क को हक है कि वह अपनी दस गॉठों को वापस कराले और गॉठों को पृथक करने में हुआ सारा व्यय और अन्य आनुषंगिक नुकसान 'ख' से वसूल करे।

धारा 157 जब कि माल पृथक न किए जा सकते हो तब उपनिहिती को सम्मति के बिना किए गए मिश्रण का प्रभाव यदि उपनिहिती, उपनिधाता की सम्मति के बिना उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ ऐसे प्रकार से मिश्रित कर दे कि निहित माल को अन्य से पृथक करना और उसे वापस परिदत्त करना संभव न हो तो उपनिधाता उस माल की हानि के लिए उपनिहिती से प्रतिकर पाने का हकदार है।

उदाहरण– क 45 रू0 कीमत के केप के आटे का बैरल ख के पास उपनिहित करता है। क कह सम्मति के बिना ख उस आटे को केवल 25 रूपये प्रति बैरल के अपनी देशी आटे के साथ मिश्रित करता है। क को उसके आटे की हानि के लिए ख प्रतिकर देगा।

4. माल को वापस प्राप्त करने का अधिकार :

धारा 159 यदि कोई चीज आनुग्रहिक रूप से उपयोग हेतु उधार दी गई है तो उधार देने वाला व्यक्ति उसे किसी भी समय वापस प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकेगा, चाहे वह एक विनिर्दिष्ट समय या प्रयोजन के लिए ही उधार क्यों न दी गई हो।

लेकिन विनिर्दिष्ट समय या प्रयोजन के पूर्व ऐसी चीज को वापस करने से होने वाली क्षति उपनिधाता को होने वाले फायदे से अधिक हो तो उपनिधाता उपनिहिती की ऐसी क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी होगा।

05 उपनिधाता उपनिहित माल मे हुई वृद्धि या उससे हुए लाभ को प्राप्त करने का अधिकार धारा 163 के अनुसार उपनिधान के संव्यवहार के चालू रहने के

दौरान यदि उपनिहित माल में किसी प्रकार की वृद्धि होती है या उससे लाभ होता है तो उपनिधाता उस वृद्धि या लाभ को भी प्राप्त करने का हकदार होगा। उदाहरण – 'क' अपनी एक गाय देख रेख के लिए 'ख' की अभिरक्षा में छोड़ता है। गाय और बछड़ा क को परिदत्त करने के लिए आबद्ध होगा।

06. दोषकर्ता के विरूद्ध वाद लाने का अधिकार धारा 188 के अनुसार उपनिधाता निम्नांकित अवस्थाओं में दोषकर्ता के विरूद्ध वाद ला सकेगा–

1– यदि दोषकर्ता उपनिहित माल के उपयोग से उपनिहिती को दोषपूर्वक वंचित करे,या

2– उपनिहित माल के कब्जे से दोषपूर्वक वंचित करे, या

3– उपनिहित माल को कोई क्षति कारित करें।

उपनिधाता को यह अधिकार सम्पत्ति का स्वामी होने के नाते दिया गया है।

उपनिधाता के कर्त्तव्य :

7. माल की त्रुटियों को प्रकट करने का कर्त्तव्य धारा 150
निशुल्क उपनिधाता का कर्त्तव्य धारा 150 के अनुसार निःशुल्क उपनिधान में उपनिधाता उपनिहित माल की ऐसी त्रुटियो को प्रकट करने के लिए आबद्ध होता है जिनकी जानकारी उपनिधाता को हो, एंव जो उनके उपयोग मे सारभूत रूप से विघ्र डालती हो या उपनिहिती को साधारण जोखिम में डालती हो। यदि वह ऐसी त्रुटियों को प्रकट

नही करता है और उपनिहिती को उससे क्षति कारित होती है तो ऐसी क्षति के लिए उपनिधाता उपनिहिती के प्रति उत्तरदायी होगा।
उदाहरण 'क' एक घोड़ा 'ख' को उधार देता जिसका दृष्ट होना वह जानता है। वह यह तथ्य प्रकट नही करता कि घोड़ा दृष्ट है। घोड़ा भाग खड़ा होता है, ख को गिरा देता है और ख घायल हो जाता है। ख के हुए नुकसान के लिए क उत्तरदायी है।

2. पुरूस्कार के लिए उपनिधाता का कर्त्तव्य धारा 150 के अनुसार जहॉ उपनिधान भाड़े पे हो वहॉ उपनिधाता उपनिहित माल की त्रुटियों से उपनिहिती को कारित क्षति के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे ऐसी त्रुटियों से उपनिधाता परिचित रहा हो या नही उदाहरण ख की एक गाड़ी अक्षेमकर है, यद्यपि ख को यह मालूम नही है और क क्षत हो जाता है। क्षति के लिए क के प्रति ख उत्तरदायी है।

2. आवाश्यक व्ययों का प्रतिसंदाय करने का कर्त्तव्य धारा 158 जहॉ कि उपनिधान की शर्तो के अनुसार उपनिहिती द्वारा उपनिधाता के लिए माल रखा जाना या प्रवहण किया जाना हो अथवा उस पर काम करवाया जाना हो और उपनिहिती को कोई पारिश्रमिक नही मिलता हो वहॉ उपनिधाता उपनिर्हित को उपनिर्हिती द्वारा उपनिधान के प्रयोजन के लिए उपगत आवश्यक व्ययों का प्रतिसंदाय करेगा।

3. उपनिहिती को कारित हानि की प्रतिपूर्ति करने का दायित्व – उपनिधाता उपनिहिती को कारित ऐसी किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी होता है जो उपनिहिती निम्नांकित कारणों से उठाता है।

1. उपनिधाता उपनिधान करने का हकदार नही था।
2. उपनिधाता माल को वापस लेने का हकदार नहीं था।
3. उपनिधाता को उपनिधान के सम्बन्ध में निर्देश देने का कोई हक नही था।

उपनिहिती के अधिकार

उपनिहिती को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है–

1. उपनिहित माल में धारणाधिकार –
   धारणाधिकार से अभिप्रायः किसी व्यक्ति के ऐसे अधिकार से है जिसके अर्न्तगत वह किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु को अपने कब्जे में तब तक प्रतिधारित कर सकता है जब तक कि उसके दावे की सन्तुष्टि नही हो जाती।
   धारणाधिकार भी दो प्रकार का होता है।
   1. सामान्य धारणाधिकार धारा 171 उपनिहिती के साधारण धारणाधिकार का उल्लेख करती है। साधारण धारणाधिकार के लिए उपनिहिती में बैकर , फैक्टर, धाटवाल, अटर्नी एंव बीमा दलाले को सम्मिलित किया गया है। तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में यह सभी उपनिहिती उपनिहित माल को अपने समस्त लेखाओं की बाकी के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रतिघृत रखने के अधिकारी है। उनका यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक माल उपनिहिती के रूप में उनकी अभिरक्षा में रहता है। यदि उपनिहिती उपनिहित माल को बेच देता है तो उसका धारणाधिकार समाप्त हो जाता है।
      धारणाधिकार की यह व्यवस्था साम्या, न्याय एंव शुद्ध अन्तःकरण के सिद्धान्तों पर आधारित है।
      सहुकारों जहॉ साहूकारों ने किसी व्यक्ति को अग्रिम धन दिया हो , वहॉ उन समस्त प्रतिभूतियों पर धारणाधिकार रखता है, जो उसके पास है।
      आढतियों आढतियों फैक्टर एक ऐसा अभिकर्ता होता है जिसे मालिक की ओर से माल का विक्रय करने के लिए नियुक्ति किया जाता है।

घाटवालों किसी घाट के स्वामी अथवा प्रभारी पदाधिकारी को घाटवाल कहा जाता है। किसी घाट बन्दरगाह पर एक ऐसा स्थान होता है जहॉ नौकाओं पर माल लादा जाता है एंव नौकाओं से माल उतारा जाता है। **प्रभिकर्ताओ** शब्द प्रभिकर्ताओं में प्रत्येक विधि –व्यवसायी सम्मिलित नही है। अतः प्रत्येक विधि –व्यवसायी साधारण धारणाधिकार का दावा नही कर सकता।

2. विशिष्ट धारणाधिकार धारा 178 जहॉ कि उपनिहिती ने, उपनिहित माल के बारे मे उपनिधान के प्रयोजन के अनुसार कोई ऐसी सेवा की हो, जिसमें श्रम या कौशल का प्रयोग अन्तर्वलित हो, वहॉ तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में, उसे ऐसे माल के तब तक प्रतिधारण का अधिकार है जब तक वह उन सेवाओं के लिए जो उसने उसके बारे में की हो, सम्यक पारिश्रमिक नही पा लेता।

   उदाहरण – क एक जौहरी ख को अनघद हीरा काटने और पालिश किए जाने के लिए परिदत्त करता है।

   तद्नुसार वैसा कर दिया जाता है। ख उस हीरे के तब तक प्रतिधारण का हकदार है जब तक उसे उन सेवाओं के लिए जो उसने की है संदाय न कर दिया जाए।

3. दोषकर्ता के विरूद्ध वाद लाने का अधिकार उपनिहिती निम्नांकित अवस्थाओं में दोषकर्ता के विरूद्ध वाद लाने का अधिकारी होता है जहॉ दोषकर्ता उपनिहिती को –

   1) उपनिहित माल के उपयोग से वंचित करे या

   2) उपनिहित माल के कब्जे से दोषपूर्वक वंचित करे, या

   3) उपनिहित माल को कोई क्षति कारित करे।

   उपनिहिती को यह अधिकार धारा 188 के अर्न्तगत प्रदान किया गया है और सम्मति के कब्जे के कारण किया गया है।

यदि किसी व्यक्ति द्वारा उपनिहिती को कपटपूर्वक कब्जे से वंचित कर दिया जाता है तो उपनिहिती उस माल के प्रत्युद्धरण के लिए वाद ला सकता है। दोषकर्ता के विरूद्ध वाद लाये जाने पर यदि कोई अनुतोष या प्रतिकर प्राप्त होता है तो उसमें उपनिधाता के साथ–साथ उपनिहिती का भी आनुपालिक हित होगा।

4. धारा 164 उपनिहिती के प्रति उपनिधाता का उत्तरदायित्व उपनिधता उपनिर्हिता की ऐसी किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी है। जो उपनिहिती इस कारण उठाए कि उपनिधाता उपनिधान करने या माल को वापस लेने या उसके सम्बन्ध में निदेश देने का हकदार नही था।
5. धारा 155 मिश्रित माल में हित धारण करने का अधिकार–यदि उपनिहिती उपनिधाता की संम्मति से उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ मिश्रित करदे तो उपनिधाता और उपनिहिती इस प्रकार उत्पादित मिश्रण में अपने–अपने अंश के अनुपात से हित रखेंगे।
6. धारा 158 आवश्यक व्ययों का उपनिधाता द्वारा प्रतिसंदाय जहॉ कि उपनिधान की शर्तों के अनुसार उपनिहिती द्वारा उपनिधाता के लिए माल रखा जाना या प्रवहण किया जाना हो और उपनिहिती को कोई पारिश्रमिक नही मिलता हो वहॉ उपनिधाता उपनिहिता को उपनिहिती द्वारा उपनिधान के प्रयोजन के लिए उपगत आवश्यक व्ययों का प्रतिसंदाय करेगा।
7. उपनिधाता द्वारा माल की त्रुटियों को प्रकट नही किये जाने के कारण हुई क्षति की पूर्ति का अधिकार धारा 150 उपनिधाता उपनिहित माल की उन त्रुटियों को उपनिहिती से प्रकट करने के लिए आबद्ध है जिनकी जानकारी उपनिधाता को हो और जो उसके उपयोग में तत्वतः विघ्न डालती हो या उपनिहिती को साधारण जोखिम में डालती हो और यदि वह ऐसा प्रकटीकरण नही करता है तो वह उपनिहिती को ऐसी त्रुटियों से प्रत्यक्षतः उद्भूत नुकसान के लिए उत्तरदायी है। यदि

माल भाड़े पर उपनिहित किया गया है तो उपनिधाता ऐसे नुकसान के लिए उत्तरदायी है चाहे वह उपनिहित माल की ऐसी त्रुटियो के अस्तित्व से वह परचित था या नही।

उदाहरण – क एक घोड़ा ख को उधार देता है जिसका दुष्ट होना वह जानता है। वह यह तथ्य प्रकट नही करता कि घोड़ा दृष्ट है। घोड़ा भाग खड़ा होता है ख को गिरा देता है और ख क्षत हो जाता है। हुए नुकसान के लिए ख के प्रति क उत्तरदायी है।

किसी भी सह–स्वामी को माल लौटाने का अधिकार धार 165 यदि माल के कई संयुक्त स्वामी उसे उपनिहित करे तो किसी तत्प्रतिकुल करार के अभाव में उपनिहिती सभी स्वामियों की सम्मति के बिना भी एक संयुक्त स्वामी को या उसके निदेशों के अनुसार माल वापस परिदत्त कर सकेगा,

उपनिहित माल पर दावा करने वाले पर व्यक्ति का अधिकार धार 167 यदि उपनिधाता से भिन्न कोई व्यक्ति उपनिहित माल का दावा करे तो वह न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि उपनिधाता को माल का परिदान रोक दिया जाए और यह विनिश्चय किया जाए कि माल पर हक किसका है।

उपनिहिती के कर्त्तव्य :–

1. युक्तियुक्त सावधानी का कर्तव्य (धारा 151 और 152) उपनिहिती का यह कर्त्तव्य है कि उपनिहित माल के प्रति युक्ति युक्त सावधानी बरते और उसके युक्तयुक्त रूप से देख रेख करे। उपनिधान की सभी दशाओं में उपनिहिती आबद्ध है कि वह उपनिहित माल के प्रति वैसी ही सतर्कता बरते जैसी मामूली प्राज्ञावाला व्यक्ति वैसी ही परिस्थितियों में अपने माल के प्रति बरतता– जो उसी परिणाम क्वालिटी और मूल्य का हो जैसा उपनिहित माल है और यदि

उपनिहित माल है और यदि उपनिहित ने ऐसी सर्तकता बरती है तो वह विशेष संविदा के अभाव में उपनिहित माल की हानि, नशा या क्षय के लिये उत्तरदायी नही होगा यदि ऐसी सर्तकता नही बरती है तो उपनिहिती माल की हानि नशा या ,क्षय के लिए उत्तरदायी होगा और इस आधार पर दायित्व ने नही बच सकता कि अपने माल के समान उपधाता के माल की देख रेख की और उपनिधाता के माल के साथ ही साथ उसके माल को भी क्षति पहॅुची। नौकरों के कृत्य से उपनिहित माल को होने वाली हानि के लिए भी उपनिहिती होगा बशर्ते उक्त कृत्य नौकर के सेवा क्षेत्र में रहा हो। उपनिहिती के कब्जे उपनिहित माल के चोरी होने पर उपनिहिती का कर्तव्य है कि वह उसे प्राप्त करने के लिए युक्तियुक्त प्रयत्न करे और ऐसा न करने पर दायी होगा। परन्तु वह यह सिद्ध करके दायित्व से छूट प्राप्त कर सकता है कि ऐसे युक्तियुक्त प्रयत्न से भी माल प्राप्त नही किया जा सकता था।

2. उपनिहित माल का अप्राधिकृत उपयोग न करने का कर्त्तव्य (धारा 153 और 154) धारा 153 के अनुसार उपनिहिती का यह कर्त्तव्य है कि वह उपनिहित माल का प्रयोग ऐसे ढ़ग से न करे जो उपनिधाता की शर्तों से असंगत हो और इस कर्त्तव्य के उल्लंघन किये जाने पर उपनिधान, उपनिधाता के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा, उपनिधाता चाहे तो उसे समाप्त कर सकता है और ऐसे उल्लंघन के कारण हानि के लिए उपनिहिती से प्रतिकर वसूल कर सकता है। उपनिहित माल का अप्राधिकृत प्रयोग करने पर ऐसे उपयोग से या ऐसे उपयोग के दौरान उपनिहित माल को होने वाली समस्त हानियों के लिए उपनिहिती दायी होती है, भले ही वह हानि उसकी त्रुटि के कारण न हुई हो।

3. उपनिधाता के माल के साथ अपने माल का मिश्रण न करने का कर्त्तव्य (धारा 155 –157) –
   यदि उपनिहिती उपनिधाता की सम्मति के बिना उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ मिश्रित करता है और माल पृथक किया जा सकता है तो माल में सम्पत्ति पक्षकारों की अपनी अपनी रहती है किन्तु उपनिहिती पृथक्करण के व्यय को और मिश्रण से हुए किसी भी नुकसान को सहन करने के लिए आबद्ध होगा और यदि माल को पृथक नही किया जा सकता और उसे वापस नही दिया जा सकता तो उपनिहिती उपनिधाता को इसके लिए प्रतिकर देने के दायित्वाधीन होगा।
4. माल वापस करने का कर्त्तव्य (धारा 159–161 और 165–167) –
   यदि माल निःशुल्क दिया गया है तो उपनिधाता उसे कभी भी वापस मॉग सकता है परन्तु यदि उपनिहिती ने विनिर्दिष्ट समय या प्रयोजन के लिये दिये गये उधार के भरों से ऐसा कार्य किया है कि उधार दी गई चीज को नियत समय से पूर्व वापस करने पर उसे उस फायदे से अधिक हानि होगी जो उसे उधार से वास्तव में प्राप्त हुआ है तो उपनिधाता द्वारा उपनिहिती को उतनी मात्रा में क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी।
5. उपनिहिती को उक्त उधार नियत समय से पूर्व वापस करने के लिए विवश करने पर उसे उपनिहिती उतनी मात्रा में क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी जितनी नियत समय से पूर्व उधार वापस लेने से उपनिहिती को होने वाली हानि उसे उधार से वास्तव में प्राप्त फायदे से अधिक है। उपनिहिती का कर्त्तव्य है कि ज्यों ही उस समय की जिसके लिए माल उपनिहित किया गया है, पूरा हो जाए, उपनिहिती माल को वापस कर दे या उपनिधाता के निर्देशानुसार परिदत कर दें। यदि उसकी त्रुटि से माल उचित समय पर वापस या परिदत या

निविदत नही किया जाता है तो उस समय से माल की किसी भी हानि या क्षय के लिए दायी होगा। यदि बिना उपनिहिती के चुक के माल किसी विधि के अर्न्तगत विधिमान्य प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए छीन लिया जाता है तो वह वापस न करने के लिए दायी नही होगा।

6. वृद्धि वापस करने का कर्त्तव्य (धारा163)
   किसी प्रतिकूल संविदा के आभाव में उपनिहिती वह वृद्धि या लाभ जो उपनिहित माल से प्रोदभूत हुआ हो, उपनिधाता को या उसके निर्देशों के अनुसार परिदत्त करने के लिए बाध्य है।
7. धारा 172 ''गिरवी'' ''पणयमकार'' और ''पपायमदार'' की परिभाषा–
   किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिपूर्ति के तौर पर माल का उपनिधान ''गिरवी'' कहलाता है। उस दशा में उपनिधाता ''पणयमकार'' कहलाता है। उपनिहिती ''पठायमदार'' कहलाता है।
   पक्षकार– गिरवी रूपी संव्यवहार कि दो पक्षकार होते है–
   1. पणयनकार या गिरवीकर्ता एंव
   2. पणयमदार या गिरवीग्राही

गिरवी के आवश्यक तत्व

चल सम्पति– गिरवी के लिए सम्पति का चल अर्थात् जंगम होना आवश्यक है। किसी अंचल अर्थात् स्थावर सम्पति से प्रोदभूत होने वाले लाभों को गिरवी नही रखा जा सकता। क्योंकि ऐसे लाभ न तो जंगम सम्पति होती है और न माल ही। सम्पति का गिरवी के समय अस्तित्व में होना अनिवार्य है।

02. सम्पति के परिदान की संविदा का होना गिरवी रखी जाने वाली वस्तु का परिदान एक संविदा के अधीन किया जाना चाहिये। लेकिन

यह आवश्यक नही है कि वस्तु का परिदान गिरवी की संविदा के साथ–साथ ही किया जाये। यह संविदा के पूर्व अथवा पश्चात् भी किया जा सकता है।

03. **माल के कब्जे या माल के स्वरूप (हक) के दस्तावेजों का परिदान –** माल के कब्जे का वास्तविक परिदान किया जाना भी आवश्यक है। यह वास्तविक अथवा आन्वयिक भी हो सकता है।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि गिरवी के सृजन के लिए स्वत्व का अन्तरण आवश्यक नही होता कब्जे का सामान्य परिदान मात्र प्रर्याप्त है। कब्जा माल के स्वत्व के दस्तावेज सौपकर भी किया जा सकता है।

मेरवी मर्केन्टाइल बैंक व0 यूनियन आफ इण्डिया A I R 1965 sc 1954 के मामले में एक बैंक ने तीन रेलवे रंसीदो पर जो बैक के नाम पृष्ठांकित की गई थी, 20,000 रूपयें का ऋण दिया। वस्तुऍ जिनका मूल्य 35,000 रू0 था, रेलवे द्वारा खो गई। बैंक ने रेलवे के विरूद्ध दावा किया। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बैंक पूरा धन पाने का अधिकारी है। क्योंकि बैंक के पक्ष में रेलवे रसीद का पृष्ठांकन से दिया धन गिरवी के संव्यवहार को या गिरवी की परिभाषा को पूर्ण करता है।

गिरवी करने के लिये सक्षम व्यक्ति –

साधारणतया गिरवी केवल चल सम्पति के स्वामी द्वारा ही की जा सकती है या उसकी सहमति से उस व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। जिसके पास माल का कब्जा है। लेकिन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा भी गिरवी की जा सकती है।

01. व्यापारिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी धार 178 के अनुसार व्यापारिक अभिकर्ता जिसके पास स्वामी की सहमति से माल का कब्जा है या

माल के स्वत्व के दस्तावेज है वह व्यापार के साधारण अनुक्रम में सद्भावना से माल को गिरवी रख सकता है।

02. शून्यकरणीय संविदा के अन्तर्गत माल का कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा– जब किसी व्यक्ति ने शून्यकरणीय संविदा के अन्तर्गत माल का कब्जा प्राप्त किया है और ऐसी संविदा का खंडन नही हुआ है तो धारा 178–ए के अनुसार उस व्यक्ति द्वारा ऐसे माल की गिरवी वैध होगी।

03. थ्गरवी ग्राही या पणयमदार द्वारा धारा 179 के अनुसार जहॉ कि कोई व्यक्ति ऐसे माल को गिरवी रखता है जिसमें वह केवल परिसीमित हित रखता है वहॉ गिरवी उस हित की सीमा तक वैद्य होगी।

04. पणयमकार (गिरवीकर्ता) के अधिकार

गिरवी रखे हुए माल को छुड़ाने का अधिकार– भारतीय संविदा अधि0 की धारा 177 के अनुसार गिरवीकर्ता को यह अधिकार है कि वह ऋण का भुगतान करके अपने गिरवी रखे हुए माल को गिरवीग्राही से वापस ले ले। यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि गिरवीग्राही विक्रय की सूचना देकर उसे बेच नही देता हैं।

पणयमदार (गिरवीग्राही) के अधिकार –

1. माल के प्रतिधारण का अधिकार – संविदा अधिनियम की धारा 173 के अन्तर्गत पणयमदार– गिरवी माल का प्रतिधारण न केवल ऋण के संदाय के लिए या वचन के पालन के लिए कर सकेगा, वरन् त्रृण के ब्याज और गिरवी माल के कब्जे के बारे में या परीक्षण के लिए अपने द्वारा उपगत सारे आवश्यक व्ययों के लिए भी कर सकेगा।

2. आसाधारण व्ययों को प्राप्त करने का अधिकार धारा 175 के अनुसार पणयमदार गिरवी माल के परीक्षण के लिए अपने द्वारा उपगत गैर–मामूली व्ययों को पणयमदार से प्राप्त करने का हकदार है।

3. पणयमदार का अधिकार जहां कि पणयमकार व्यतिक्रम करता है– यदि पणयमकार उस ऋण के संदाय मे या अनुबद्ध समय पर उस वचन का पालन करने में जिसके लिए माल गिरवी रखा गया व्यतिक्रम करता है तो पणयमदार उस ऋण या वचन पर पणयमकार के विरूद्ध वाद ला सकेगा और गिरवी माल का साम्पार्शिवक प्रतिभूति के रूप में प्रतिधारण कर सकेगा, या गिरवी चीज को बेचने की युक्तियुक्त सूचना पणयमकार को देकर उस चीज को बेच सकेगा।

यदि ऐसे विक्रय के आगम उस रकम से कम हो जो ऋण या वचन के बारे मे शोध्य है तो पथायमकारबाकी के संदाय के लिए तब भी दायी रहता है। यदि विक्रय के आगम उस रकम से अधिक हो जो ऐसे शोध्य है तो पणयमदार वह अधिशेष पणयमकार को देगा।

LAW OF CONTRACT- II

UNIT –II

Bailmeny – Definition of bailment kinds of bailees, duties of bailor and bailee towards each other rights of bailor and bailee finder of goods as a bailee.

Pleage – definition comparision with bailment right of the pawner and pawne